

FORM NO. IIIफर्द अहकाम
(नियम 26)नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर
उनवान साबिर बनाम सरकार
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट
प्रा0पत्र नम्बर 15/120/2023 दायर दिनांक 08.06.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
11.07.2023	<p>पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 नम्बर आरजे 52 जीए 6594 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थानाधिकारी अकबरपुर, जिला अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 1577 दिनांक 26.06.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन से अनुसंधान हो चुका है, वाहन छोड़ दिया जाये तो कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रुपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जप्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/ तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। थानाधिकारी अकबरपुर, जिला अलवर को जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 संख्या आरजे 52 जीबी 6594 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दफतार दाखिल हो।</p>	


जिला कलक्टर
अलवर